## न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा.पत्र मुन्त./25/2025

1. पिंकी उर्फ पिन्दो पुत्री मोहनलाल पत्नि इन्द्रजीत जाति जाट निवासी छौंकर कलां तहसील भुसावर हाल कुरवारा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर राज0
2. दिगम्बर पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी छौंकरवाडा कलां तहसील भुसावर जिला भरतपुर राज0

..........प्रार्थी0

**बनाम**

1. श्री राधेश्याम मीना आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी भुसावर जिला भरतपुर
2. ग्राम पंचायत छौंकरवाडा कलां जरिये सरपंच ग्राम पंचायत छौंकरवाडा कलां तहसील भुसावर जिला भरतपुर राज0
3. विमलेश शर्मा पत्नि निरोत्तम
4. रजनी पुत्री निरोत्तम
5. पवन पुत्र निरोत्तम
6. आकाश पुत्र निरोत्तम

(3 से 6) जाति ब्राहम्ण निवासी नगला पैमा उर्फ प्रेम नगरिया पोस्ट चिचाना पंचायत समिति सेवर जिला भरतपुर राज0

...... अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली विरुद्ध श्री राधेश्याम मीना उपखण्ड अधिकारी भुसावर वमुकदमा संख्या–02/2019 उनवानी पिंकी उर्फ पिन्दो बनाम ग्राम पंचायत छौकरवाडा कलां

**उपस्थितः–**

1–श्री विजय सिंह कुन्तल, अभिभाषक प्रार्थी0,

2–श्री पंकज कुमार अभिभाषक अप्रार्थी–3,4,5,6

**निर्णय** **दिनांक 12.09.2025**

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण वखिलाफ उपखण्डाधिकारी भुसावर इस आशय का पेश किया गया है, संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि नामान्तकरण सं0 39 दिनांक 08.07.2019 की एक अपील मुकदमा सं0 02/2019 उनवानी पिंकी उर्फ पिन्दो बनाम ग्राम पंचायत छौकरवाडा कलां न्यायालय उपखण्डाधिकरी भुसावर यहॉ लम्बित है। अपीलान्ट के पिता की मृत्यु के वाद ग्राम पंचायत छौकरवाडा कलां द्वारा गलत रूप से नामान्तकरण दूसरे पिता की व दूसरी जाति के व्यक्ति गैर सायल सं0 3 लगायत 6 के भी नाम अंकित करते हुये खोल दिया गया था गैर सायल सं0 03 लगा0 6 दूसरे निरोत्तम शर्मा की पत्नि व संतान है जिसकी वावत सम्पूर्ण दस्तावेज उपखण्डाधिकारी भुसावर को पेश किये जा चुके हैं परन्तु उपखण्डाधिकारी भुसावर प्रार्थीगण की अपील पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं एवं हर तारीख पर टालम टोल करते रहते हैं। गैरसायल संख्या 03 को उपखण्डाधिकारी भुसावर के चैम्बर से निकलते हुये देखा है। गैरसायल ने धमकी

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

दी है कि श्री राधेश्याम मीना उपखण्डाधिकारी भुसावर से बात हो गई हैं अब की बार तेरी अपील को खारिज करा देगें। पीठासीन अधिकारी के कार्यव्यवहार से भी ऐसा प्रतीत होता है कि वह अप्रार्थी0 के पक्ष की ओर प्रमाणित है। प्रार्थी0 को शंका हो गई है कि उसे पीठासीन अधिकारी उपखण्डाधिकारी भुसावर से न्याय नहीं मिल सकता है इसलिये प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्डाधिकारी भुसावर में विचाराधीन अपील सं0 02/2019 उनवानी पिंकी उर्फ पिन्दो बनाम ग्राम पंचायत छौकरवाडा कलां को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी भुसावर से टिप्पणी तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी भुसावर से प्राप्त टिप्पणी शामिल मिसिल की गई।

वकील अप्रार्थी0 की ओर से जबाव पेश किया जो शामिल मिसिल किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने तर्कों में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि न्यायालय उपखण्डाधिकारी भुसावर में एक अपील मुकदमा सं0 02/2019 उनवानी पिंकी उर्फ पिन्दो बनाम ग्राम पंचायत छौकरवाडा कलांयहॉ लम्बित है। अपीलान्ट के पिता की मृत्यु के वाद ग्राम पंचायत छौकरवाडा कलां द्वारा गलत रूप से नामान्तकरण दूसरे पिता की व दूसरी जाति के व्यक्ति गैर सायल सं0 3 लगायत 6 के भी नाम अंकित करते हुये खोल दिया गया था गैर सायल सं0 03 लगा0 6 दूसरे निरोत्तम शर्मा की पत्नि व संतान है जिसकी बावत सम्पूर्ण दस्तावेज उपखण्डाधिकारी भुसावर को पेश किये जा चुके हैं परन्तु उपखण्डाधिकारी भुसावर प्रार्थीगण की अपील पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं एवं हर तारीख पर टालम टोल करते रहते हैं। गैरसायल संख्या 03 को उपखण्डाधिकारी भुसावर के चैम्बर से निकलते हुये देखा है। गैरसायल ने धमकी दी है कि श्री राधेश्याम मीना उपखण्डाधिकारी भुसावर से बात हो गई हैं अब की बार तेरी अपील को खारिज करा देगें। पीठासीन अधिकारी के कार्यव्यवहार से भी ऐसा प्रतीत होता है कि वह अप्रार्थी0 के पक्ष की ओर प्रमाणित है। प्रार्थी0 को शंका हो गई है कि उसे पीठासीन अधिकारी उपखण्डाधिकारी भुसावर से न्याय नहीं मिल सकता है इसलिये प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्डाधिकारी भुसावर में विचाराधीन अपील सं0 02/2019 उनवानी पिंकी उर्फ पिन्दो बनाम ग्राम पंचायत छौकरवाडा कलां को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का निवेदन किया है।

जिला कलक्टर
भरतपुर

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी0 ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थना पत्र मुन्तकिली में झूठे एवं बेबुनियाद आरोप लगाये गये हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा पूर्ण निष्पक्ष रूप से विधिवत सुनवाई की जा रही है। उपखण्डाधिकारी भुसावर से अप्रार्थी0 की कोई बातचीत नहीं है। प्रार्थी अपील का निस्तारण नहीं होने देना चाहती है। उपखण्डाधिकारी भुसावर द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी ने तहत न्यायालय में विचाराधीन अपील को देरीना करने के लिए प्रार्थना पत्र लगाया गया है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया किया। उपखण्डाधिकारी भुसावर से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया। प्रार्थी ने अपने मौखिक लगाये गये आरोपों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया है जिससे उसके मौखिक कथनों की पुष्टी हो सके। अस्तु प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के रहता है।

**अतः आदेश है कि –**

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्डाधिकारी भुसावर को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

**(कमर उल जमान चौधरी)**
**जिला कलक्टर,**
**भरतपुर**